सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां (राज.)

(पीठासीन अधिकारी श्री वासुदेव मालावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 185/2015

बउनवान

1– फूलचन्द आयु 36 वर्ष पुत्र भवानीशंकर कुमावत निवासी उदपुरिया तहसील छोपाबडौद
2– भूरालाल आयु 34 वर्ष पुत्र भवानीशंकर कुमावत निवासी उदपुरिया तहसील छीपाबडौद
3– कृष्णा बाई आयु 32 वर्ष पुत्री भवानीशंकर कुमावत निवासी उदपुरिया तहसील छीपाबडौद
4– कमला बाई आयु 62 वर्ष पत्नि भवानीशंकर कुमावत निवासी उदपुरिया तहसील छीपाबडौद

(अपीलांटगण)

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र उम्मेदा जाति कुमावत निवासी उदपुरिया तहसील छीपाबडौद
2. पांचीबाई पत्नि उम्मेदा जाति कुमावत निवासी उदपुरिया तहसील छीपाबडौद
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबडौद

(रेस्पोडेन्टगण)

अपील विरूद्व आदेश दि. 1.10.2015 तहसीलदार छीपाबडौद प्रकरण संख्या 1/2015 अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :– 1– श्री ओम प्रकाश मेहता अभिभाषक **(अपीलांट)**
2–श्री योगेश्वर स्वरूप भटनागर अभिभाषक **(रेस्पोडेन्ट)**

निर्णय दिनांक 16.3.2017

अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छीपाबडौद के प्रकरण संख्या 1/2015 किस्म 251 आर.टी.एक्ट मे पारित आदेश दिनांक 1.10.2015 से अप्रसन्न होकर, अपील इस न्यायालय मे अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार छीपाबडौद का निर्णय खिलाफ कानून एवं न्याय के स्वीकृत सिद्वान्तों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है।

यह कि ग्राम उदपुरिया तहसील छीपाबडौद की खाता संख्या 88 की कुल किता 9 रकबा 29.11 बीघा मे से खसरा नम्बर 86 रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 100 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा के सन्दर्भ मे ही रास्ते का विवाद बताया गया है। उक्त आराजी अपीलांटगण व रेस्पो0 क्रम 1 व 2 के संयुक्त खाते की है, जिसमे अभी बटवारा नही हुआ है। दोनो खसरा नम्बरो पर जाने हेतु उत्तरी ओर की मेर पर रास्ता स्थित है तथा खसरा नम्बर 86 मे होकर रेल्वे लाईन निकली हुई है। जो खसरा नम्बर 86 व 100 की बीच की मेर से होते हुये खसरा नम्बर 87 मे जाती है। इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नही किया गया है। पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 4.9.2015 मे खसरा नम्बर 86 व 100 की आराजियात अपीलांटगण एवं रेस्पो0 क्रम 1 व 2 के 1/2 –1/2 हिस्से मे खातेदारी मे होना बताया तथा स्पष्ट किया है कि दोनो ने अपने–अपने खेतो मे रास्ते हांक लिये है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाना व विधि विरूद्व निर्णय दिनांक 1.10.2015 पारित किया है। जो निरस्तनीय है।

धारा 251 की कार्यवाही हेतु प्रथम अधिकार रास्ते के सन्दर्भ मे ग्राम पंचायत को है। ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित अवधि 45 दिन मे निस्तारण नही किये जाने की स्थिति मे ग्राम पंचायत तहसीलदार को मूल प्रार्थना पत्र भिजवायेगी। जबकि उक्त प्रकरण मे ग्राम पंचायत मे कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही हुआ न ही तहसील द्वारा भिजवाया गया। ग्राम पंचायत की कार्यवाही के बिना सीधे

तहसीलदार को धारा 251 आर.टी.ए मे कार्यवाही सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है। उक्त आराजियात अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टगण के संयुक्त खाते की है। जिसका बाहमी बटवारा किया गया है व उसी अनुरूप काबिज है। अपीलांट के अभिभाषक द्वारा अपील स्वीकार की जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपील पेश होने पर दिनांक 12.10.2015 को दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ता 3 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। रेस्पो. क्रम 1 व 2 जर्ये अभिभाषक उपस्थित रहे है एवं रेस्पो. क्रम 3 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब की गई, जिसके प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस उभयपक्ष सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया व कहा कि विवादित आराजियात संयुक्त खाते मे स्थित है, जिसका विभाजन नियमानुसार नही हुआ है, बिना विभाजन के रास्ता दिया जाना सम्भव नही है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विभाजन के रास्ता कायम किया है। भूमि संयुक्त खाते मे होना पटवारी रिपोर्ट दिनांक 4.9.2015 से स्पष्ट है। रास्ता देने का प्रथम अधिकार ग्राम पंचायत को है यदि ग्राम पंचायत 45 दिन मे प्रकरण का निस्तारण नही करती है तो ही तहसीलदार को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार है। तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा दि. 29.10.2015 को प्रेषित मौका रिपोर्ट मे अंकित किया है कि खसरा नम्बर 86 एवं 100 का बटवारा नही हुआ है, आपसी सहमति मे मौके पर बटवारा कर रखा है, जिस पर जाने का सुगम रास्ता खसरा नम्बर 124, 111, 112, 99, 87 जो चारागाह है, मे होकर मौके पर बना हुआ है ओर चालू है। उसे ही खुलाने के आदेश दिये गये थे, क्योकि यह रास्ता सेटलमेन्ट के समय से ही दर्ज रिकार्ड है। अतः अपील स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

रेस्पो0 क्रम 1 व 2 के अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा भूमि का विभाजन होना स्वीकार किया है, जो अधीनस्थ न्यायालय उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब कार्यवाही में दिनांक 18.6.2015 को प्रस्तुत किया गया है उनका यह कथन प्रस्तुत जवाब की विशेष आपत्तियां मे स्पष्ट अंकित है। अतः अब वे अपने कथन से पाबन्द है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 1.10.2015 की पालना हो चुकी है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकारान की बहस को सुना एवं इस न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। जिससे जाहिर आया कि विवादित आराजियात संयुक्त खाते की हैं जिनका विधिवत विभाजन नही हुआ है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छीपाबडौद के प्रकरण संख्या 1/2015 किस्म 251 आर.टी.एक्ट मे पारित आदेश दिनांक 1.10.2015 विधिसंगत नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः अपीलांटगण की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 1.10.2015 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ तहसीलदार छीपाबडौद को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रकरण मे पुनः सुनवाई कर विधि संगत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 16.3.2017 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(वासुदेव मालावत)
अति0 जिला कलक्टर, बारां